रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

SECRETARIAT

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 1996/माघ 4, 1917

No. 52] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 1996/MAGHA 4, 1917

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1996

का.आ. 65(अ).—अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया दिनांक 3 जनवरी, 1996 का निम्नलिखित निर्णय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के समक्ष

श्री अजित सिंह — याचिकादाता

बनाम

1. श्री राम लखन सिंह यादव
2. श्री रामशरण यादव
3. श्री अभय प्रताप सिंह
4. श्री रोशन लाल
5. श्री गुलाम मोहम्मद खान
6. श्री अनादि चरण दास
7. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा

— प्रत्यर्थी

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) या अनुकल्प में पैरा 2(1)(क) के अन्तर्गत यह निर्णय लेने के लिए याचिका कि उपर्युक्त प्रत्यर्थियों को इस आधार पर लोक सभा के सदस्य बने रहने से निरर्ह किया जाता है कि उन्होंने 28 जुलाई, 1993 को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें जारी किये गए व्हिप का उल्लंघन किया था या अनुकल्प में, इस आधार पर, कि उन्होंने जनतादल (अ) जिसके वे सदस्य थे, की सदस्यता स्वैच्छिक रूप से छोड़ दी थी।

1. जनता दल के मामले में पहली जुलाई, 1993 को यह निर्णय हुआ कि 20 सदस्यों वाला जनता दल (अ) जिसके नेता श्री अजित सिंह हैं, अस्तित्व में आया था। तत्पश्चात् 28 जुलाई, 1993 को (सायं 4.15 बजे) श्री राम लखन सिंह यादव ने उसी तिथि का स्वयं तथा जनता दल (अ) के 6 अन्य सदस्यों अर्थात् सर्वश्री रोशन लाल, अभय प्रताप सिंह, गोविन्द चन्द्र मुंडा, राम शरण यादव, अनादि चरण दास तथा गुलाम मोहम्मद खान द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र सौंपा जिसमें लोक सभा में एक पृथक ग्रुप बनाने का अनुरोध किया गया था।

2. उस दिन अर्थात् 28-7-1993 को मंत्रिपरिषद् में एक अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में, (रात्रि 8.20 बजे) श्री राम लखन सिंह यादव तथा अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। 3 अगस्त, 1993 को संसदीय कार्य मंत्री का 2 अगस्त, 1993 का एक पत्र प्राप्त हुआ कि श्री राम लखन सिंह यादव तथा छह अन्य सदस्य जिन्होंने लोक सभा में अलग बैठाये जाने का अनुरोध किया था, को कांग्रेस (आई) में सम्मिलित कर लिया गया है और यह कि उन्हें कांग्रेस (आई) ब्लाक में सीटें आवंटित की जाएं।

इस संबंध में श्री अजित सिंह की टिप्पणियां प्राप्त की गईं। श्री अजित सिंह की टिप्पणियों और श्री राम लखन सिंह यादव और अन्य के निवेदन पर विचार करने के पश्चात् सभा में कार्य करने के प्रयोजन के लिए उक्त 7 सदस्यों को जनता दल (अजित) की सीटों के ब्लाक से अलग सीटें देने का निर्णय किया गया।

3. यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि श्री अजित सिंह और कुछ अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया था कि एक मंत्री और कुछ सदस्यों

द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1993 के उपर्युक्त पत्र के एक हस्ताक्षरकर्ता श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा पर 28 जुलाई, 1993 को अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के समय सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला गया था। इस संबंध में संबंधित मंत्री और सदस्यों की टिप्पणियां प्राप्त की गईं, जिन्होंने इस मामले में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया। श्री मुंडा ने अपने 29 जुलाई, 1993 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्होंने प्रस्ताव के विरोध में स्वेच्छा से मतदान किया था इसके अतिरिक्त इस मामले में श्री मुंडा के वक्तव्य का रिकार्ड करते समय जब उनसे विशेषरूप से पूछा गया कि क्या किसी सदस्य या सदस्यों या मंत्री या मंत्रियों ने उनके द्वारा दिए गए मत के मामले में उन पर दबाव डाला था तो उन्होंने इसका दृढ़तापूर्वक खंडन किया।

4. 12 अगस्त, 1993 को श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, संसद सदस्य, जो लोक सभा में जनता दल (अजित) के तत्कालीन मुख्य सचेतक थे, ने लिखित सूचना दी थी कि श्री राम लखन सिंह यादव और पांच अन्य सदस्यों (श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा को छोड़कर) ने 28 जुलाई, 1993 को अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के समय दिनांक पूर्व अनुमति के पार्टी निर्देशों के उल्लंघन में मतदान न करने का निर्णय किया है।

5. दिनांक 26 अगस्त, 1993 को श्री अजित सिंह ने संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उक्त सात सदस्यों अर्थात् सर्वश्री राम लखन सिंह यादव, राम शरण यादव, अभय प्रताप सिंह, रंगनाथ लाल, गुलाम मोहम्मद खां, अनादि चरण दास और गोविन्द चन्द्र मुंडा के विरुद्ध एक संयुक्त याचिका दाखिल की थी।

6. याचिकादाता ने दलील दी कि 7 में से 6 प्रत्यर्थियों अर्थात् सर्वश्री राम लखन सिंह यादव, राम शरण यादव, अभय प्रताप सिंह, रंगनाथ लाल, गुलाम मोहम्मद खां और अनादि चरण दास ने 28 जुलाई, 1993 को अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के समय पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान किया। अतः वे दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (ख) के अन्तर्गत निरर्ह हो गए हैं।

7. अपने वैकल्पिक तर्क में याचिकादाता ने निवेदन किया कि चूंकि 28 जुलाई, 1993 को प्रत्यर्थियों द्वारा अलग ग्रुप बनाने हेतु अनुरोध के लिए लिखा गया पत्र मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को त्यागने के बराबर है, अतः ये सात प्रत्यर्थी (श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा सहित) दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अन्तर्गत निरर्ह घोषित किये जाएं।

8. उक्त-वर्णित रीति, नियमों के अधीन यथापेक्षित याचिका की प्रतियां प्रत्यर्थियों को उनकी टिप्पणियां के लिए भेजी गई थीं। इस संदर्भ में प्रत्यर्थियों द्वारा अपने लिखित कथनों में मुख्य रूप से यह कहा गया था कि चूंकि वे जनता दल (अजित) से अलग होने का निर्णय पहले ही ले चुके थे और वैध रूप से दल-विभाजन हो चुका था तथा इस गुट में जो उसके कारण अस्तित्व में आया था, लोक सभा में जनता दल (अजित) के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य थे, अतः उनको जनता दल (अजित) की ओर से जारी व्हिप पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी तथा उनके लिए न तो व्हिप की आवश्यकता थी और न ही वे इसको मानने के लिए बाध्य थे।

9. सात प्रत्यर्थियों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि इस मुद्दे पर सुनवाई की जाये। मामले से संबंधित पार्टियों को अपने मामलों की दलील खुद तथा अपने वकीलों के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी। इस मामले की पहली सुनवाई 17 दिसम्बर, 1993 को हुई थी जिसमें याचिकादाता, प्रत्यर्थियों तथा उनके वकीलों ने भाग लिया था तथापि 11 अप्रैल, 6 जून और 21 अगस्त, 1994 को हुई पश्चात्वर्ती सुनवाईयों में न तो याचिकादाता और न ही उनका वकील उपस्थित हुए थे।

10. मामले की सुनवाई के दौरान हुई कुछ पश्चात्वर्ती घटनाओं के बारे में यहां उल्लेख किया जा सकता है। 30 दिसम्बर, 1993 को श्री अजित सिंह और जनता दल (अजित) के नौ अन्य सदस्यों ने यह सूचित किया कि उन्होंने कांग्रेस (आई) में विलय होने का निर्णय लिया है। मामले की जांच करने के पश्चात् श्री अजित सिंह और अन्य सदस्यों को लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल की सीटों में स्थान आवंटित किए गए थे तथा उन्हें कांग्रेस (आई) का सदस्य माना गया था।

11. एक अन्य घटना में यह हुआ कि जनता दल (अजित) के सांसद श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा ने (एक) श्री अजित सिंह के स्थान पर श्री राम लखन सिंह यादव और अन्य के विरुद्ध याचिका में याचिकादाता के रूप में उनका नाम प्रतिस्थापित करने के लिए एक आवेदन किया (दो) श्री अजित सिंह तथा 9 अन्य सदस्यों, जिनका कांग्रेस (आई) में विलय हो गया था, के विरुद्ध निरर्हता हेतु एक संयुक्त याचिका दी।

12. अतः 24 अगस्त, 1994 को हुई चौथी और अन्तिम सुनवाई (जिसमें न तो याचिकादाता उपस्थित हुआ था और न ही उनका वकील) के दौरान मुख्य मुद्दे के अलावा एक अतिरिक्त मुद्दा भी विचारार्थ आया अर्थात् दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत निरर्हता हेतु किसी याचिका के संबंध में सभापति के समक्ष चल रही कार्यवाहियों में क्या किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने की अनुमति है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप के मुद्दे पर प्रत्यर्थियों के दलील श्री कपिल सिब्बल ने अपने लिखित तर्क (24-8-1994 को) और लिखित निवेदन (16-9-1994 को प्राप्त) में कहा था कि निरर्हता हेतु किसी याचिका के संबंध में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत एक बार कार्यवाही शुरू होने पर कोई तीसरा पक्ष किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

13. इस मामले में मुख्य मुद्दे के संबंध में श्री सिब्बल ने यह निवेदन किया था कि चूंकि लोक सभा में जनता दल (अजित) विधायी दल में वैध दल विभाजन हो चुका था और इस दल विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न गुट के सात प्रत्यर्थी जो लोक सभा में जनता दल (अजित) की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य हैं, दसवीं अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित अपवाद के कारण उक्त अनुसूची के पैरा 2 की पाबंदियों के अध्यधीन नहीं आते हैं।

14. 29 नवम्बर, 1995 को याचिकादाता (श्री अजित सिंह), प्रत्यर्थी (श्री राम लखन सिंह यादव तथा अन्य) तथा श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, संसद सदस्य को इस मामले में अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। बैठक के दौरान, याचिकादाता ने एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि वह मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा ने एक लिखित वक्तव्य भी दायर किया जिसमें उनका कहना था कि वह (एक) इस मामले में याचिकादाता के रूप में अपने नाम के प्रतिस्थापन के लिए अपने प्रार्थना पत्र तथा (दो) श्री अजित सिंह तथा 9 अन्य सदस्यों के खिलाफ निरर्हता के लिए संयुक्त याचिका पर जोर नहीं देना चाहते। श्री अजित सिंह तथा श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा के उपरोक्त लिखित वक्तव्य मेरे द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित थे।

15. श्री राम लखन सिंह यादव तथा अन्य सदस्यों के विरुद्ध श्री अजित सिंह की संयुक्त याचिका के संबंध में मामले पर विचार के लिए मुख्य मुद्दे ये हैं कि क्या—

(एक) श्री राम लखन सिंह यादव तथा 5 अन्य प्रत्यर्थी (श्री जी. सी. मुंडा को छोड़कर) दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करने पर (जैसा कि याचिकादाता ने अपने मुख्य अभिवचन में प्रार्थना की है) दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अधीन निरर्ह हो गए हैं; अथवा—

(दो) सभी 7 प्रत्यर्थी अलग गुट के लिए अनुरोध करके, अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देने के कारण (जैसा कि याचिकादाता ने अपने अनुपूरक अभिवचन में प्रार्थना की है) दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अधीन निरर्ह हो गए हैं।

16. अभिलिखित साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थी मूल दल से अलग हो गए थे।

17. याचिकादाता ने लिखित रूप में कहा है कि याचिका को आगे बढ़ाने में उसकी रुचि नहीं है। अतः यह अर्थ लगाया जाता है कि प्रत्यर्थियों की सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती।

18. इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी मूल दल से अलग हो गये थे, यह निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि क्या श्री जी.सी. मुंडा ने मूल दल के संप्रेतक से विधिमान्यतः निदेश प्राप्त किए थे तथा क्या उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था। इस स्थिति को देखते हुए श्री जी.सी. मुंडा की सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती।

19. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा चाहते थे कि उन्हें याचिकादाता के रूप में मामले में पक्षकार बनाया जाए।

20. वह उस समय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अब साक्ष्य अभिलिखित किए जा रहे थे अथवा अब बहस सुनी जा रही थी। उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि वह याचिकादाता के रूप में अपने को पक्षकार बनाये जाने में रुचि नहीं रखते। प्रत्यर्थियों की ओर से यह अभिवचन दिया गया कि चूंकि श्री वर्मा को याचिकादाता के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

21. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा दिए गए इस आवेदन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अपने आपको याचिकादाता के रूप में पक्षकार बनाये जाने पर जोर देने में रुचि नहीं रखते, इस बात का निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि क्या उन्हें कानूनी रूप से याचिकादाता के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है।

22. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा यह लिखकर देने पर कि वह याचिकादाता बनने में रुचि नहीं रखते, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा का याचिकादाता बनने का मामला नहीं बनता है।

आदेश

23. अतः याचिका का निपटान निम्न तरीके से किया जाता है :

(एक) याचिका खारिज की जाती है।

(दो) प्रत्यर्थी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है।

(तीन) श्री जी.सी. मुंडा की सदस्यता समाप्त नहीं की जाती है।

(चार) श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा के आवेदन का निपटान उनके दूसरे आवेदन को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह याचिकादाता के रूप में अपने आपको पक्षकार नहीं बनाना चाहते हैं।

(पांच) इस मामले को समाप्त किया जाता है।

(छह) विधि और नियमों के अनुसार अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

ह.

(शिवराज वी. पाटिल)
अध्यक्ष, लोक सभा

नई दिल्ली ;
दिनांक : 3 जनवरी, 1996

[सं. 46/2(2)/93/दि.]

ह. :

सुरेन्द्र मिश्र, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1996

S.O. 65(E).—The following Decision dated 3 January, 1996, of the Speaker, Lok Sabha, given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"BEFORE HONOURABLE SPEAKER, LOK SABHA

Shri Ajit Singh — Petitioner

Versus

1. Shri Ram Lakhan Singh Yadav
2. Shri Ram Sharan Yadav
3. Shri Abhay Pratap Singh
4. Shri Roshan Lal
5. Shri Gulam Mohammad Khan
6. Shri Anadi Charan Das
7. Shri Govind Chandra Munda

Respondents

Petition under Para 2(1)(b) or in the alternative under para No. 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India for a decision that the aforesaid Respondents are disqualiind for being Members of the House of People (Lok Sabha) on the ground that they had violated the whip duly served on them directing them to vote in favour of the No Confidence Motion on 28th July, 1993 or in the alternative on the ground that they voluntarily gave up the membership of the Janata Dal (A) of which they were the Members.

1. On 1st June, 1993 it was decided in the Janata Dal case, that Janata Dal (A) consisting of 20 Members with Shri Ajit Singh as its Leader came into existence. Subsequently on 28th July 1995 (at 16.15 Hrs.) Shri Ram Lakhan Singh Yadav handed over a letter of the same date signed by him and 6 other Members belonging to Janata Dal (A) viz. Sarvashri Roshan Lal, Abhay Pratap Singh, Govinda Chandra Munda, Ram Sharan Yadav, Anadi Charan Das and Gulam Mohammad Khan requesting for separate group in Lok Sabha.

2. On that day i.e. 28-7-1993, at the voting on a motion of No Confidence in the Council of Ministers (held at 20.20 Hrs.), Shri Ram Lakhan Singh Yadav and the said six other members voted against the motion. On 3rd August 1993, a letter dated 2nd August 1993 was received from the Minister of Parliamentary Affairs informing that Shri Ram Lakhan Singh Yadav and six others who had made a request to be seated separately in Lok Sabha had been admitted to Congress (I) and that they be allotted seats in Congress (I) Block of seats. Comments in this respect were obtained from Ajit Singh. After considering the comments of Shri Ajit Singh and further submissions by Shri Ram Lakhan Singh Yadav and others, it was decided to seat the said 7 members separately outside the Janata Dal (A) Block of seats in Lok Sabha for the purpose of functioning in the House.

3. It may be pertinent to mention that there were allegations by Shri Ajit Singh and some other Members that Shri Govinda Chandra Munda, one of the signatories to the above letter dated 28th July 1993, was pressurised by a Minister and some Members to correct his vote to 'No' in favour of the Government at the time of voting on the No Confidence Motion held on 28th July 1993. Comments in this respect were obtained from the Minister and the Members concerned who had denied the respecitve allegations made against them in the matter. Shri Munda in his letter dated 29th July 1993 intimated that he had voted against the motion of his free will. Besides, at the time of recording a statement in the matter, when Shri Munda was asked specifically if any Member or Members or Minister or Ministers had brought any kind of pressure on him in the matter of vote cast by him, he emphatically denied the same.

4. On 12 August 1993, Shri Rajnath Sonker Shastri, M.P., the then Chief Whip of Janata Dal (A) Legislature Party in Lok Sabha intimated in writing that Shri Ram Lakhan Singh Yadav and five other Members (excluding Shri G. C. Munda)

had voted ccuntry to the party directive without prior permission, at the time of voting on the No Confidence Motion held on 28th July 1993 and that the party had decided not to condone the violation of the party directive by the said members.

5. On 26 August 1993, Shri Ajit Singh filed a composite petition under the Tenth Schedule to the Constitution and the rules made thereunder against the said seven members viz. Sarvashri Ram Lukhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Rochan Lal, Gulam Mohammad Khan, Anadi Charan Das and Govinda Chandra Munda.

6. The petitioner contended that 6 out of the 7 Respondents viz. Sarvashri Ram Lakhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Rochan Lal, Gulam Mohammad Khan and Anadi Charan Das, at the time of voting on the motion of No Confidence held on 28th July, 1993 voted contrary to the party directives and hence had become subject to disqualification under para 2(1) (b) of the Tenth Schedule.

7. In his alternative plea, the petitioner submitted that since the letter written by the Respondents on 28th July 1993 requesting for a separate group amounted to giving up the membership of the original political party, the seven respondents (including Shri G. C. Munda) had become liable to be declared disqualified under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule.

8. Copies of the petition were forwarded to the respondents for their comments as required under the Anti Defection Rules. The main stand of the respondents in their written statements in this respect was that since they had already decided to split from Janata Dal (A) and a valid split had taken place and the faction, which arose pursuant thereto, was more than 1|3rd of the total members of the Janata Dal (A) in the Lok Sabha, there was no occasion for them to take notice of the swhip issued to them by Janata Dal (A) and they were neither required nor obligated to obey the whip.

9. After considering the comments of the 7 respondents, it was decided to hold hearings in the matter. The parties to the case were allowed to plead their case themselves as well as through their counsels. The first hearing in the case was held on 17th December, 1993 which was attended by the petitioner, respondents and their Counsels. However, during the subsequent hearings held on 11th April, 6th June and 24th August, 1994 neither the petitioner nor his Counsel was present.

10. Mention may be made here of some subsequent developments which took place while the hearings in the case were in progress. On 30th December, 1993, Shri Ajit Singh and 9 other Members of Janata Dal (A) informed that they had decided to merge with Congress (I). After examining the matter, seats were allotted to Shri Ajit Singh and others in Congress (I) block of seats in Lok Sabha and they were treated as Members of Congress (I).

11. In another development, Shri Upendra Nath Verma, MP, belonging to Janata Dal (A) filed (i) an application to substitute his name as petitioner in the petition against Shri Ram Lukhan Singh Yadav and others in place of Shri Ajit Singh; (ii) composite petition for disqualification against Shri Ajit Singh and 9 other members who had merged with Congress (I).

12. Hence during the fourth and final hearing held on 24th August, 1994 (which was also not attended either by the Petitioner or by his Counsel) apart from the main issues, another additional issue emerged for consideration viz. is it permissible for a third party to intervene in the proceedings before the Speaker in respect of a petition for disqualification under the Tenth Schedule. Shri Kapil Sibal, Counsel for the respondents in his oral arguments (on 24th August, 1994) and written submissions (received on 16th September, 1994), on the issue of intervention by a third party, submitted that once the proceedings under the Tenth Schedule in respect of a petition for disqualification are set in motion, there is no occasion for any intervention by a third party.

13. As regards the main issues in the case, Shri Sibal had submitted that since a valid split had taken place in the Janata Dal (A) Legislature Party in the Lok Sabha and the 7 Respondents comprising the faction which arose pursuant thereto, constitute more than 1/3rd of the total strength of the Janata Dal (A) in Lok Sabha, they are not subject to the rigours of para 2 of the Tenth Schedule, being within the exception set out in para 3 of the said Schedule.

14. On 29th November, 1995, the Petitioner (Shri Ajit Singh), the Respondent (Shri Ram Lakhan Singh Yadav and others) and Shri Upendra Nath Verma, MP were called to discuss the matters involved in the case. During the meeting, the petitioner submitted a written statement stating that he did not wish to pursue the case. Shri Upendra Nath Verma also filed a written statement stating that he does not wish to press his (i) application for substitution of his name as petitioner in this case and (ii) composite petition for disqualification against Shri Ajit Singh and 9 other members. The said written statements by Shri Ajit Singh and Shri Upendra Nath Verma were countersigned by me.

15. The main issue for consideration in the case in respect of composite petition by Shri Ajit Singh against Shri Ram Lakhan Singh Yadav and other Members is whether :

(i) Shri Ram Lakhan Singh Yadav and 5 other respondents (excluding Shri G. C. Munda) have incurred disqualification under para 2(1)(b) of the Tenth Schedule for voting in the House contrary to the party directive (as prayed by the petitioner in his main plea); or

(ii) All the 7 respondents by making a request for separate group have incurred disqualification under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule for voluntarily giving up membership of their original political party (as prayed by petitioner in his alternative plea).

16. The evidence that has come on record shows that the respondents had split from the original party.

17. The petitioner had stated in writing that he is not interested in pursuing the petition. Hence, it is held that the membership of the respondents cannot be terminated.

18. In view of the findings that the respondents had split from the original party, it is not necessary to decide if Shri G. C. Munda had validly received the directions from the whip of the original party and if he had violated the whip. In view of this position, the membership of Shri G. C. Munda cannot be terminated.

19. Shri Upendra Nath Verma wanted to be impleaded in the matter as the Petitioner.

20. He did not appear before the deciding authority, at the time when the evidence was recorded of when the arguments were heard. He has given in writing that he is not interested in getting himself impleaded as the Petitioner. On behalf of the respondents, it was pleaded that legally also, Shri Verma could not be impleaded as petitioner.

21. In view of the application given by Shri Upendra Nath Verma saying that he is not interested in pressing for getting himself impleaded as the Petitioner, it is not necessary to decide whether he can be impleaded as the petitioner, legally.

22. The matter of Shri Upendra Nath Verma's becoming the petitioner does not survive after his giving in writing that he is not interested in becoming the petitioner.

ORDER

23. Therefore, the petition is disposed of as follows :

(i) The Petition is dismissed ;

(ii) The Respondents are not subject to disqualification ;

(iii) Membership of Shri G. C. Munda is not terminated ;

(iv) The application of Shri Upendra Nath Verma is disposed of in terms of his second application which states that he is not interested in getting himself impleaded as the petitioner ;

(v) The case is closed ;

(vi) Other necessary steps may be taken in terms of the law and the rules.

New Delhi,
Dated, the 3rd January, 1996

Sd./-
(SHIVRAJ V. PATIL),
Speaker, Lok Sabha"

[No. 46/2(2)/93/T]

S. N. MISHRA, Secy.-Genl

230 GI/96—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996